



# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या..... 1889 ( 11 ) / 2014-15

## आदेश फलक

आवेदन की तिथि 4/4/15  
अधिसूचना तिथि 6/4/15  
निर्गत तिथि 7/4/15

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
7/3/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती <u>वासुदेव लाल सिंह</u></p> <p>पिता/पत्नी <u>श्री. श्यामलाल सिंह</u> साकिम <u>श्री. श्यामलाल सिंह</u></p> <p>थाना <u>श्री. श्यामलाल सिंह</u> जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।</p> <p>आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा <u>श्री. श्यामलाल सिंह</u></p> <p>मौजा नं० <u>11</u> खाता नं० <u>37, 15</u> प्लॉट नं० <u>618, 625</u></p> <p>रकबा <u>6.47 इंच</u></p> <p>दलील सं० <u>1584</u> दिनांक <u>02/03/15</u> के</p> <p>द्वारा श्री/श्रीमती <u>श्री. श्यामलाल सिंह</u> से</p> <p>प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक <u>7/3/15</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रैयती खाते की है।</li> <li>जमाबदी सं० <u>1492, 135</u> में विक्रेता के/विक्रेता के <u>सं०</u> के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निबंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद कृषकता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर मुद्रांक की रशि को कोषामर में जमा कर दलील को वैध कर लिया गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को <u>स्वीकृत</u> किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगें। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p> <p><i>(Handwritten signatures and initials)</i></p> <p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p>

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया !  
प्रतिलिपिक टंकक

अंचल अधिकारी  
धनबाद।

*(Handwritten signatures and stamps)*

अंचल अधिकारी  
धनबाद।

प्राप्त अंचल अधिकारी  
श्यामलाल सिंह  
अंचल अधिकारी  
धनबाद।



आवेदन की तिथि 21/11/15  
 अधिसूचना तिथि 21/11/15  
 निर्गत तिथि 21/11/15

र में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयत) का नामान्तरण, (नाखिल-आरिज) दिखानेवाला शुद्धि पत्र  
 जिला- धनबाद, अनुमण्डल - धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

1	क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण केस संख्या	गाँव	थाना और थाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण संयुक्त करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है विक्री, दान विनिमय, उत्तराधिकार या बटवारा हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
2	2	दा० खा० 1868 (II) 14-15	लोवलपुर	धनबाद 11	खाता- 37, 15 प्लाट- 618, 625 रकबा- 6.47 डिसेमिल लगान- 4.00 रु०/	अंचल अधिकारी धनबाद	विक्री / उत्तराधिकारी दलील संख्या 1584 02/03/15	पुराना जमा०:- 1492,135 पुराना रैयत:- द्वारा जाप, जहाँ मोहन मर्हता नया रैयत:- वास्तुदेव जेन्फन पंडित पिता ल० मंगल पंडित साथ- कोमला कार, सराफदार कमिनाद /		
3	3									
4	4									
5	5									
6	6									
7	7									
8	8									
9	9									
10	10									

शापांक संख्या 1847 ता० 21/11/15 2014  
 कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया !  
 प्रतिलिपिक टंकक

श्री मंगल कार, सराफदार  
 कमिनाद /

श्री मंगल कार, सराफदार  
 कमिनाद /



आवेदन की तिथि 26/6/15  
 अधिसूचना तिथि- 27/6/15  
 निर्गत तिथि- 29/6/15

## अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद

दाखिल खारिज मु० संख्या 550 ( ii ) / 2015-16

### आदेश फलक

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश तथा हस्ताक्षर	अभियुक्ति
5/6/15	<p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती वासुदेव नंदन पंडित            पिता/पति श्री/श्रीमती साकिम कोयलानगर            थाना शरायहना जिला-धनबाद ने नामांतरण के लिये आवेदन किया है।            आवेदन के अनुसार आवेदक/आवेदिका ने मौजा शिवपुर            मौजा नं० 11 खाता नं० 15, 4 प्लॉट नं० 619, 625            रकबा 4.24 ई०            दलील सं० 3985 दिनांक 21.05.15 के            द्वारा श्री/श्रीमती शमाश्रीव प्रसाद वर्मा से            प्राप्त किया है।</p> <p>मूल आवेदन पत्र हल्का कर्मचारी को जाँच हेतु दें, इस बीच आम इस्तेहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19/6/15 को उपस्थापित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>जाँच हेतु आवेदन पत्र पाया।</p>
15/6/15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त है। किसी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं किया है। हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जिसके अनुसार -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूमि रेयती खाते की है।</li> <li>जमाबदी सं० 1539 में विक्रेता के/विक्रेता के मौज के नाम लगान से रसीद कट रहा है।</li> <li>आवेदक निर्बंधित दलील द्वारा भूमि प्राप्त कर प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा में है।</li> <li>निबंधन धनबाद/ कलकत्ता निबंधन कार्यालय से किया गया है, तथा अन्तर-मुद्दांक बनी रशि को कोषामार में जमा कर दलील को वैध कर लिखा गया है।</li> <li>प्रश्नगत भूमि गैर आबाद खाता, आदिवासी खाता, भूदान, वन भूमि तथा बी०सी०सी०एल० के क्षेत्र से बाहर है एवं यह हस्तान्तरण C.N.T Act की धारा 46 (1) से मुक्त है।</li> </ol> <p>अतः हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल-खारिज आवेदन को 24/6/15 किया जाता है। तदनुसार शुद्धिपत्र निर्गत करें एवं हल्का कर्मचारी से एक सप्ताह में अनुपालन प्रतिवेदन मांगे। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन इस आदेश का हिस्सा होगा।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अंचल अधिकारी धनबाद।</p>	<p>शुद्धि पत्र प्राप्त किया</p>

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।  
 प्रतिलिपिक / टंकक

मांगी 29/6/15  
 धनबाद



आवेदन की तिथि 26/11/15  
 अधिसूचना तिथि 27/11/15  
 निर्गत तिथि 29/11/15

जिला- धनबाद, अनुमण्डल- धनबाद अंचल - धनबाद, हल्का सं०-(II) स्टेट का नाम- झारखण्ड

र अ नोडित इस्टेटों के अभियारियों ( रैयत) का नामान्तरण (दाखिल-झारिज) दिखावेवाला शुद्धि-पत्र

1	क्रम संख्या	पंजी संख्या 27 में नामान्तरण के संख्या	गाँव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण और सम्बद्ध अभ्युक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करनेवाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है बिक्री, वान विनियम, उत्तराधिकार या बढवाया हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पूरा व्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजीकृत तारीख को शुद्धि की गई ?	अभ्युक्ति
2	2	दा० खा० 550 (II) 15-16	सावलपुर	धनबाद 11	खाता- 15.4 प्लॉट- 619, 625 रकबा- 4.24 इ० लगान- 4.32 लान	अंचल अधिकारी धनबाद	बिक्री/उत्तराधिकारी दलील संख्या 3985 / 21.05.15	पुराना जमा०- रामाश्रीव प्रसाद वर्मा (1539) पुराना रैयत- 1539 नया रैयत- श्री वासुदेव मंदन पंडित पिता- स्व० भागवत पंडित सा०- कौयला नगर	जमा सं०- में दर्ज किया	

ज्ञापक संख्या 485 ता० 19/11/2015  
 कर्मचारी हल्का सं० (II) को जानकारी और आवश्यक कारवाई के लिए भेजी जाती है।

अंचल अधिकारी धनबाद

मेरे द्वारा फोटोकॉपी किया गया।  
 प्रतिलिपिक / वंकक

महोदय 27/11/15  
 प्रधान सहायक  
 प्रशासनिक कार्य  
 धनबाद